न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 16/24 तारीख रजू- 01/10/24

1. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र रामखिलाडी जाति माली निवासी मकूकला तहसील गंगापुर सिटी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी। —रेस्पोडेन्ट

उपस्थित
1. अधिवक्ता महेश चन्द्र अग्रवाल — अपीलार्थी पक्ष
2. पैरोकार सरकार — रेस्पोडेन्ट पक्ष

निर्णय दिनांक 05.11.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 88/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19/09/2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम चूली के आराजी ख0नं0 1173 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में अपीलाण्ट के बाबा सोहनलाल उर्फ सोनपाल पुत्र पप्पूमाली के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 854 रकबा 11 बिस्वा स्थित रही है। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2026 लगायत 2033 में दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट के बाबा जीवनपर्यन्त काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से मुस्तफिद होते रहे हैं। अपीलान्ट के बाबा के इंतकाल के बाद में अपीलण्ट के पिता व अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। हाल बंदोबस्त में उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 854 रकबा 11 बिस्वा को हाल खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.42 है0 हाल बंदोबस्त में गलत रूप से शामिल कर दिया है, इसी के पास में हाल खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.41 है0 स्थित रहा है जो कि मौके पर सड़क है, रेवन्यू रिकॉर्ड में इसको भूमि वर्गीकरण गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर रखा है जो कि नाकाबिल काश्त है। उक्त भूमि खं0नं0 1173 पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के पिता ने अपने अधिकारों हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां पर अपना वाद पत्र उनवानी रामखिलाडी वगै0 बनाम लैण्ड होल्डर वगै0 मुकदमा सं0 61/24 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामखिलाड़ी वगै0 बनाम लैण्ड होल्डर वगै0 मु0नं0 58/24 दायर

5/11/24

कर रखा है। जो जेरेकार है। अपीलार्थी को नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट का गलत खिलाफ कानून व कायदे बिला मौका कब्जा जांच के दिया गया है जो काबिले निरस्त है। अदालत मातहत नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.01 दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भी अपील के साथ पेश की गई है। जबकि आदेश रकबा 0.20 है0 का पारित किया गया। जो खिलाफ कानून व कायदा रूएदाद मिसल होने से लायक मंसूखी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आरजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं किया है नाहीं कोई कब्जा है,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा नोटिस खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.01 का दिया गया है, जबकि आदेश रकबा 0.20 है0 का पारित किया गया है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व निर्णय में रकबा समान है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई,उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया. है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2081 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा नवीन अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलार्थी को उक्त वाद आराजीयात से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी